

FORM No. III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसील उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

दावा... १११... मुकदमा नं०... १०... सन् 2018

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	<p>25⁰⁶/₁₈ पत्रावली आज राजव लोड अदालत गया आपडे एकर अन्विषान 2018 के तहत केम रथल अदल सेवा केन्द्र, रोमल में श्री अजना राम एड. ने पेशा की। १११ फर्द रजिस्ट्रर किया जावे। प्रविण्डी उपरी प्रकरण में बल्ल वकील वारी सुनी गई। दौराने बल्ल वकील वारी ने अपने वादपत्र में अंशित तथ्यों को देखाते हुए मुलाबिह अनुतोष पावा डिस्क्रि उरमा जाने का निवेदन किया। वकील वारी के निवेदन पर अन्विषारी तहसीलदार खण्डेला ने कोई आदेश जाहिर नहीं की।</p> <p>वकील वारी ने बड़ी प्रमाण पुत्र मूरा का शपथ पत्र पेशा किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में विवाह बिन्दू के सम्बन्ध में मजमे आम पूछताछ की गई। मजमे आम में की गई ब्रह्माघ के आधार पर वारी का सही नाम बाबुलाल पुत्र गोविन्दा होता पाया गया। वारी के पदपान के दाताके जात में श्री वारी का नाम बाबुलाल पुत्र गोविन्दा अंशित है।</p> <p>अतः उक्त तथ्यों के आलोक में एवं लोड अदालत की भावना से वारी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है :-</p> <p style="text-align: center;"><u>उन्देश</u></p> <p>तम ग्राम कुवरपुरा ५०६० रोमल तहसील खण्डेला</p>	<p>बाबुलाल</p> <p>श्रीप्रसाद</p> <p>N.O. 25/6/18</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	<p>अवस्थित कृषि भूमि ख. 409 237 2-44 हूँ में वादी का नाम "बाबू पुत्र गोविन्दा" के स्थान पर "बाबुलाल पुत्र गोविन्दा" प्रकृत किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल परामर्श हो। पत्रावली फुँसल कुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तत्काल वाजिल रफत हो। सिन्धि मामले आम जुनाया गण।</p> <p style="text-align: right;">  25/6/8 बनारस राज्य उपकरणी कार्यालय खण्डेला (सीकर) </p>

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला (सीकर)
पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

अनुवांन
बाबुलाल :X. बनाम भूमिधारी तहसीलदार पखेला

सुनवा बाबत घोषणा
मुकदमा नम्बर :- 90/2018


निर्णय दिनांक :- 25-06-2018

इस मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी
मिनजानिब मुददई रुबरू श्री भजनाराम ५०

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -
तत्पश्चात् अंवरपुरा नं० ६० रोड पर तहसील पखेला अर्वाकित कूडि
असि फा. नं० ५०९ २९६५ २-५५ ई० में बादी का नाम "नाथू
प्रस गोविन्दा" के स्थान पर "बाबुलाल प्रस गोविन्दा" उद्घाटित
किया जाता है। इन्तजाजदार साफतु रेफर में असल पदमद है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

इस आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला(सीकर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील		जोड़	
जोड़			

✧ पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी गढ़वाल की लकी
तन भुंकरपुरा तहसील पठेला जिला सीकर (राज)
- (पदी)



समीर शर्मा
उपलब्ध अधिकारी
खण्डेला (सीकर)